भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1838

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

जनजातीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानताऐं

†1838. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वार सुदूरवर्ती एवं कम विकसित क्षेत्रों, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम के कर्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले में रहने वाले जनजातीय समुदायों कों सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने जनजातीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में, विशेषकर असम के कर्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले में क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने के लिए उपाय किए हैं जहां जनजातीय आबादी अधिक असुरक्षित या हाशिए पर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): सरकार, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) (जिसे अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में जाना जाता है) को क्रियान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार सृजन, कौशल विकास, पूर्वोत्तर के विकास से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को जारी डीएपीएसटी निधि का विवरण

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**असम**	**अरुणाचल प्रदेश**	**मणिपुर**	**मेघालय**	**मिजोरम**	**नागालैंड**	**सिक्किम**	**त्रिपुरा**
2022-2023	2689.73	1140.59	617.75	1954.10	1121.35	1643.36	214.33	1146.37
2023-2024	4636.88	1625.19	455.99	3236.09	1482.90	1881.06	312.95	1732.75
Total	**7326.60**	**2765.78**	**1073.74**	**5190.19**	**2604.25**	**3524.41**	**527.28**	**2879.12**

स्रोत: एसटीसी एमआईएस पोर्टल (https://stcmis.gov.in/)

10% सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) योजना भारत में एक नीति है, जिसके तहत छूट-रहित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने वार्षिक बजट का कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के विकास पर खर्च करना होता है। जीबीएस नीति के तहत, सभी छूट-रहित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों (वर्तमान में 55) को अपने सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च करना अनिवार्य (अधिदेशित) है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ऐसे व्यय की निगरानी करता है और उसका ध्यान (हिसाब) रखता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को भरना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। प्रत्येक मंत्रालय को अभियान के तहत बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और वह सौंपे गए उपाय को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अभियान का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच के माध्यम से संतृप्ति प्रदान करना है। इस अभियान का लक्ष्य 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले विशिष्ट जनजातीय बहुल गांवों को बनाया गया है, जहां कम से कम 50% जनजातीय लोग हों, तथा आकांक्षी ब्लॉकों में कम से कम 50 जनजातीय लोगों की जनसंख्या वाले गांवों को बनाया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के साथ जिलों का राज्य-वार कवरेज **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केन्द्रीय क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन करता है और 715 विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 476 ईएमआरएस कार्यरत हैं, जिनसे 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 264 जिलों में 1,33,929 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। असम राज्य के लिए अनुमोदित 17 ईएमआरएस में से दीमा हसाओ जिले में 3 ईएमआरएस और असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 3 ईएमआरएस सहित 16 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं ।

मंत्रालय मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जो ओपन एंडेड योजनाएं हैं। इन 2 योजनाओं (राज्य-वार वर्ष-वार) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के विवरण के लिए मंत्रालय के डैशबोर्ड (dashboard.tribal.gov.in) पर जाया जा सकता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (प्रावधान) के तहत अनुदान के तहत राज्य सरकारों को उनके प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भारत सरकार की ओर से 100% अनुदान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण का उद्देश्य राज्य को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाना है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (प्रावधान) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को जारी निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। कर्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों सहित पूर्वोत्तर के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के विवरण के लिए मंत्रालय की वेबसाइट https://tribal.gov.in/display_PAC_minutes.aspx पर जाया जा सकता है।

अनुलग्नक -I

"जनजातीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानताएँ" के संबंध में श्री अमरसिंग तिस्सो द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1838 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के साथ-साथ जिलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कवरेज

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले की संख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	23	230896
2	असम	32*	2124774
3	मणिपुर	13	629332
4	मेघालय	12	1135901
5	मिजोरम	11	400652
6	नागालैंड	16	915742
7	सिक्किम	6	72682
8	त्रिपुरा	8	828393
	कुल योग	121	6338372

*दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जिलों सहित

अनुलग्नक -II

"जनजातीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानताएँ" के संबंध में श्री अमरसिंग तिस्सो द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1838 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (प्रावधान) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को राज्य-वार और वर्ष-वार जारी की गई निधियाँ

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
1	अरुणाचल प्रदेश	9830.00	7265.30	6740.00
2	असम	2570.00	2300	3294.12
3	मणिपुर	0.00	1067.36	2456.35
4	मेघालय	1595.25	2904.84	3127.29
5	मिजोरम	2971.54	1654.05	2897.97
6	नागालैंड	3202.39	5863.47	5020.11
7	सिक्किम	2045.00	720.38	1754.38
8	त्रिपुरा	607.53	1294.71	4226.39

नोट: राज्य को जारी की जाने वाली निधि राज्य को आवंटित राशि, वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समय पर प्रस्तुति आदि पर निर्भर करती है।

*****